

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1194 / 2013 / जोधपुर.

मैसर्स शाहीन कंस्ट्रक्शन कम्पनी, उदयमंदिर, जोधपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एस.के.आसोपा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12 / 03 / 2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स)–प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 45 / आरवेट / जेयूई / 12-13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.5.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2010-11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.12.2012 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र 238 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 21 संपत्ति नियम 19ए के तहत लेटफीस रूपये 5,000/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आलौच्य वर्ष 2010-11 के लिये नियम 19ए के तहत लेटफीस का आरोपण किया गया है, जबकि नियम 19ए दिनांक 01.04.2011 से प्रभावशील किया गया है। इससे पूर्व विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाता था। धारा 58 का विलोपन दिनांक 15.04.2011 से किया गया है। इस प्रकार आलौच्य अवधि में विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार की शास्ति अथवा लेटफीस आरोपणीय नहीं थी। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 19ए के तहत लेटफीस का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त लेटफीस की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत लेटफीस का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 28.12.2012 में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत लेटफीस का आरोपण किया गया है।

7. इस सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

Rule 19A - where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of :

- (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and
- (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330 के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर लेट फीस जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है।

9. बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करना एक चालू रहने वाला व्यतिक्रम है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन जो लेट फीस के प्रावधान प्रभावी हैं, उस लेट फीस के प्रावधान के अनुसार लेट फीस की राशि Quantity की जावेगी।

10. अपीलार्थी व्यवहारी को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। यह लेट फीस विहित समयावधि के पश्चात विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की परिस्थिति में Consequential (पारिणामिक) प्रभाव के कारण जमा कराना अधिदेशक है। लेट फीस स्वमेव पारिणामिक दायित्व है जिसका Quantification उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर किया जायेगा। नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की श्रेणी में होने पर यह लेटफीस अधिकतम रूपये 50,000/- होगी तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस अधिकतम रूपये 5000/- होगी।

11. यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उक्त प्रावधानों अनुसार अधिकतम रूपये 5000/- लेटफीस आरोपणीय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी रूपये 5000/- लेटफीस का आरोपण किया गया है, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है।

12. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

नोट (पु.)
12.03.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य